न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 70/2019 राजस्व अपील

1. भगवान सहाय पुत्र कल्याण सहाय जाति ब्राहमण निवासी मीतरवाडी तहसील बसवा जिला दौसा अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11.09.2019 न्यायालय उप तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा प्रकरण सं. 50/2019, सरकार बनाम भगवानसहाय अन्तर्गत धारा 91 भू राज. कानून

उपस्थिति : श्री अमरसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 13.04.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मीतरवाडी तहसील बसवा में स्थित खसरा संख्या 272 गैर मुमकिन आबादी में है जो ग्राम पंचायत देलाडी के क्षेत्राधिकार में है और पंचायत में निहित है। जो आबादी के उपयोग में आ रही है। उक्त आबादी भूमि में से पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक चार एयर भूमि प्रार्थी के बुजुर्गान के कब्जे से चली आ रही है। हल्का पटवारी ने अपीलान्ट के विरूद्ध गलत तरीके से विधि विपरित यह जानकारी होते हुए कि भूमि आबादी की है और रिपोर्ट में आबादी स्वीकार कर रहा हैं के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बांदीकुई के यहां कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने की सजा से दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 11.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 271 में पानी की खेल होना बताया है जो सार्वजनिक पशुओं के लिए पानी पीने के लिए बनाई है जो रास्ते में नही है बल्कि रास्ते के किनारे पर है। जिस पर पानी भरने की व्यवस्था अपीलान्ट करता है। खसरा संख्या 272 आबादी भूमि है जो ग्राम पंचायत देलाडी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय को आबादी भूमि में स्थानीय निकाय पंचायत द्वारा आवेदन करने पर ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यवाही करने का अधिकार है। उप तहसीलदार बांदीकुई को आबादी भूमि पर कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अपीलान्ट को बिना सुने ही तथा दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.09.2019 पारित कर दिया गया। अपीलान्ट का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम मीतरवाडी तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा संख्या 271 रकबा 0.30 है. किस्म गैर मु. रास्ता में पानी की खेल बनाकर एवं खसरा संख्या 272 रकबा 0.60 है. किस्म आबादी में 0.01 है. भूमि में लोहे की चद्दर(टीन शेड) लगाकर, 0.01 है. में रेवडा व बलीता डालकर एवं 0.02 है. भूमि में जगह–जगह पशु बांधकर कुल 0.04 है. भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 11.09.2019 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा संख्या 272 आबादी भूमि होना व्यक्त किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आबादी भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में होना एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार बांदीकुई को रिमाण्ड किया जाता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि खसरा संख्या 272 के रिकॉर्ड एवं मौके की जांच कर तथा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रकरण का परीक्षण कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर नियमोचित कार्यवाही कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा